बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय, आगरा
सत्र–(2021–22)

1967 में स्थापित 'बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय' आगरा का सर्वश्रेष्ठ महिला महाविद्यालय है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा बी ग्रेड प्राप्त इस महाविद्यालय की गणना सम्पूर्ण प्रदेश के शीर्षस्थ महाविद्यालयों में की जाती है। शिक्षण स्तर, अनुशासन एवं पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों के आधार पर प्रदेश के शिक्षा जगत में महाविद्यालय का एक विशिष्ट स्थान है। संस्था का प्रमुख लक्ष्य प्रभावी, जीवनोपयोगी एवं सामयिक शिक्षा प्रदान कर महिलाओं के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है और उनमें समाज एवं राष्ट्र के प्रति दायित्व–बोध जाग्रत करना है। बौद्धिक उत्कृष्टता, नैतिक उन्नयन, स्वस्थ सौन्दर्य–चेतना तथा प्रासंगिक कार्यानुभव के माध्यम से समाज की उत्पादकता में वृद्धि महाविद्यालय के विविधपक्षीय लक्ष्य बिन्दु हैं।

महाविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के निर्माण के लिये संकल्पबद्ध है जिनमें राष्ट्र के प्रति, आम आदमी के प्रति तथा दलित वर्ग के प्रति वचनबद्धता हो, जो शिक्षा को आर्थिक सुरक्षा के साथ–साथ मानवीय गरिमा, मानवाधिकारों की स्थापना और संरक्षण का एक शक्तिशाली माध्यम मानें, जिससे विषमताविहीन समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके। महाविद्यालय इन मूल्यों और प्रवृत्तियों का समावेश अपने विद्यार्थियों में करना चाहता है और इसके लिये निरन्तर प्रयासरत है।

बिजलीघर बस–स्टैण्ड के समीप ग्वालियर मार्ग एवं औलिया मार्ग के सन्धि–स्थल पर स्थित महाविद्यालय नगर के सभी मुख्य मार्गों से नगर–बस सेवा द्वारा सम्बद्ध है।

महाविद्यालय में कला, ललितकला, विज्ञान संकाय, शिक्षा संकाय एवं वाणिज्य संकाय के 19 पाठ्य–विषयों में स्नातक स्तर पर तथा 11 पाठ्य–विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन की व्यवस्था है। स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत बी.कॉम., एम.ए. गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, बी.बी.ए. व एम.कॉम की कक्षायें संचालित हैं। खेलकूद एवं अनेक शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों की दिशा में भी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं। परिसर में ही बाहर की छात्राओं के लिए छात्रावास निर्मित है तथा स्टेट बैंक के विस्तार पटल की सुविधा भी उपलब्ध है।

स्नातक प्रथम वर्ष में उपलब्ध सीटें

पाठ्यक्रम	सीटें
बी.ए.	640
बी.कॉम.	160
बी.एससी.	90
बी.बी.ए.	60

अधिक जानकारी के लिए www.bdkmvagra.co.in पर लॉग इन करें।

अध्ययन-विषय

सम्प्रति महाविद्यालय के कला, विज्ञान, शिक्षा एवं वाणिज्य संकाय में उपलब्ध पाठ्य-विषय इस प्रकार हैं -

नोट: 1. बी.ए., बी.कॉम, बी.एससी. प्रथम वर्ष में नई शिक्षा नीति के अनुसार ही विषयों का आवंटन किया जायेगा। आगे की जानकारी के लिये कॉलेज की वेब साइट पर चैक करें।

बी.ए. द्वितीय और तृतीय के लिए :

(I) वैकल्पिक विषय :

छात्राओं को निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करना है-

1. सामान्य अंग्रेजी
2. अंग्रेजी साहित्य
3. हिन्दी साहित्य
4. सामान्य संस्कृत
5. संस्कृत
6. उर्दू
7. मनोविज्ञान (प्रयोगात्मक)
8. अर्थशास्त्र
9. इतिहास
10. राजनीतिशास्त्र
11. समाजशास्त्र
12. शिक्षाशास्त्र (प्रयोगात्मक)
13. चित्रकला (प्रयोगात्मक)
14. संगीत गायन (प्रयोगात्मक)
15. संगीत वादन-तबला (प्रयोगात्मक)
16. संगीत वादन-सितार (प्रयोगात्मक)
17. गृह विज्ञान (प्रयोगात्मक)
18. शारीरिक शिक्षा (प्रयोगात्मक)
19. हिन्दी भाषा

नोट : 1. अधिकतम दो प्रयोगात्मक विषयों का चयन किया जा सकता है।

2. दो से अधिक साहित्य का चयन नहीं किया जा सकता।

3. कोई भी प्रयोगात्मक विषय तभी अनुमन्य होगा जब वह इण्टरमीडिएट कक्षाओं में पढ़ा गया हो, किन्तु छात्रा के प्राप्तांक 60% होने पर नया प्रयोगात्मक विषय लेने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

4. सैद्धान्तिक विषयों में 55% प्राप्तांक होने पर नया विषय दिया जा सकेगा।

5. चयनित विषय अत्यन्त सावधानी से भरें। चयनित विषयों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि अपनी मर्जी से कोई छात्रा प्रवेश लेने के बाद विषय बदलती है तो समस्त उत्तरदायित्व छात्रा का होगा।

बी.एस.सी. द्वितीय और तृतीय के लिए :

1. मुख्य विषय :

1. रसायन विज्ञान
2. जन्तु विज्ञान
3. वनस्पति विज्ञान

बी.कॉम. (त्रिवर्षीय) (स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत) :

बी.एड. (द्विवर्षीय):

बी.बी.ए. : (स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत)

एम. ए. विषय :

1. अंग्रेजी
2. हिन्दी
3. संस्कृत
4. मनोविज्ञान
5. चित्रकला
6. संगीत गायन
7. गृहविज्ञान (स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत)
8. अर्थशास्त्र (स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत)
9. समाजशास्त्र (स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत)

एम.एड. :

एम.कॉम. :

शोधकार्य :

महाविद्यालय में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मनोविज्ञान, शिक्षा, कला एवं संगीत में शोध कार्य कराया जा रहा है। सभी स्तरों पर उच्च शैक्षिक उपलब्धि के अतिरिक्त छात्रा/महिला अभ्यर्थी को ही शोध हेतु प्रवेश दिया जाता है। शोधार्थी छात्रा को प्रवेश के समय शोध विषय की रूपरेखा की एक प्रति जमा कराना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त होने पर अनुमोदन-पत्र की एक प्रति भी महाविद्यालय में जमा करानी होगी।

नोट:- कोरोना महामारी के कारण उक्त निर्देशों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रत्येक अभ्यर्थी को सूच्य है कि वह प्रवेश लेने की अवधि में अपने पास कोई एक मोबाइल जिसका नं0 Working condition में अर्थात् वर्तमान में चालू हो तथा जिस पर छात्रा की अपनी email ID पर संदेश या OTP भेजे जाने पर छात्रा को तुरन्त संदेश मिल जाए, अपने स्वयं के पास हर समय उपलब्ध होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। सभी अभ्यर्थी छात्राओं से अपेक्षित है कि अपने से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं बहुत सावधानी से सही-सही ही भरना सुनिश्चित करें। महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन से पूर्व ही मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउन लोड परमावश्यक है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

सत्र 2021-2022 द्वारा अनुमोदित

प्रवेश नियमावली

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा आवासीय संस्था एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग तथा विधि संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिनकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय एवम् उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा महामहिम कुलाधिपति महोदय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान है तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के आधार पर समस्त कक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार किये जायेंगे।
2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।
3. सत्र 2021-22 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश Admission Monitoring System प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी पाँच चरणों क्रमशः (1) पंजीयन (2) वेब रजिस्ट्रेशन (3) फार्म भरना (4) पाठ्यक्रम चुनना (5) फार्म प्रिंट Online माध्यम से पूर्ण करके छटे चरण में जिस आवासी संस्थान/ महाविद्यालय को चुनना चाहता है। वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। जिसके लिए उसे स्वतंत्र है, परन्तु वह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेंगे जो Admission Monitoring System की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
4. महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dbrau.org.in के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जायेगी।
5. महाविद्यालय, प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध है।
6. Admission Monitoring System शुल्क निर्धारण के लिए प्रवेश समिति द्वारा कुलपति जी को अधिकृत किया गया। कुलपति जी ने कोविड-19 महामारी और कारण गहराये आर्थिक संकट तथा छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय लिया कि Admission Monitoring System की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी से स्नातक स्तर पर 100/- रू0 तथा परास्नातक स्तर पर 200/- रू0 शुल्क वेब रजिस्ट्रेशन के रूप में लिया जायेगा।

सामान्य निर्देश

1. (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका "प्रोस्पेक्ट्स" तैयार करायेगा, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे तथा विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य 250 रूपये नकद आगामी सत्र 2021-22 के लिए रखा जायेगा।

(ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2021-2022 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, तथा 4 प्रतिशत स्थान विकलांगों के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा-श्रवण बाधित, चलन बाधित, दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा 10 प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। विकलांगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक कक्षा में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

(स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्प्यूटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है।

(द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपरांत यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर रदद् कराना होगा तथा महाविद्यालय द्वारा इसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा। शुल्क वापिसी की प्रक्रिया 02 माह के अन्दर सम्पूर्ण करनी होगी।

2. (अ) सत्र 2021-22 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सैमिस्टर में ही प्रवेश दिये जायेंगे तथा प्रवेश शुल्क के साथ 200/- रू0 उपाधि शुल्क भी छात्र देय होगा।

(ब) एल.एल.एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 55 प्रतिशत अंको एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(स) (i) एल0एल0एम0 पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में 10+2 (इण्टरमीडिएट) सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ी वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(ii) यदि किसी छात्र द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् 03 वर्ष का प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना जाये। ऐसे छात्रों को बी0ए0एल0एल0बी में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।

(iii) एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में स्नातक सामान्य श्रेणी के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत एवम्अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(द) बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र द्वारा किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बी0पी0ई0एस0 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(य) एम0ए0 में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया गया हो, परन्तु परास्नातक के प्रयोगात्मक एवम् साहित्यिक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना अनिवार्य है।

(र) एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर साइंस) में प्रवेश हेतु निम्न विषयों के साथ स्नातक किया जाना अनिवार्य होगा। PCM/Statistics/Computer science/I.T./ B.E./B.Tech. & BCA उपरोक्त विषयों में स्नातक सामान्य एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत अंकों की छूट मान्य होगी।

(ल) एम0एस0सी0(एग्रीकल्चर) ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने बी0एस0सी0(एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है वह एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बी0एस0सी0(एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र उसी विषय के लिए एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होंगे।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम पूर्णांक प्रतिशत 45 प्रतिशत होना चाहिए तथा सम्बन्धित विषय में न्यनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(ब) एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु बी0कॉम त्रिवर्षीय उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(श) सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 31 अगस्त, 2021 होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल घोषित / रोका गया हो, वह कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की दशा में परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेंगे।

महाविद्यालय खुलने के तिथि	शासनादेश के अनुसार
स्नातक प्रथम वर्ष में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि	: 13 अगस्त, 2021
स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि	: 31 अगस्त, 2021
स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि	: 06 सितम्बर, 2021
स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम एवं द्वितीय वर्ष पंजीकरण/प्रवेश की अन्तिम तिथि	: 06 सितम्बर, 2021
स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि	: 09 सितम्बर, 2021

उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों के सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।

3. (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।

(स) स्नातक एवं स्नातकोत्तर के ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष पूर्ण कर लिया है एवं परास्नातक स्तर पर पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण कर लिया है, यदि किन्हीं कारणोंवश आगामी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत छात्र के रूप में देना चाहते है एवं उनके पास कोई प्रयोगात्मक विषय नहीं है तथा अन्तराल के नियमों के अन्तर्गत आते हैं, वे समस्त छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

(द) यदि छात्र/छात्रा कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा विधि स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक है और उसकी अर्हता परीक्षा में दो वर्षों से अधिक का अन्तराल है तो ऐसी दशा में आवासीय पाठ्यक्रमों के निदेशक/विभागाध्यक्ष तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह प्रवेश कर सकते है परन्तु उन्हें छात्र/छात्रा से यह शपथ-पत्र लेना अनिवार्य होगा कि उन्हें:-

किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता का दाषी नहीं पाया गया है।

किसी भी न्यायालय में नैतिक अपराध में दण्डित न हुआ हो।

किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् न हो।

कहीं सेवारत न हो।

ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश में विभागाध्यक्ष/प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।

(य) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।

4. नियमानुसार एल0एल0बी0 06 वर्ष, बी0ए0एल0एल0बी0 08 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 07 वर्ष, कला विज्ञान एवं वाणिज्य 06 वर्ष परास्नातक अधिकतम 05 में पूर्ण करना अनिवार्य होगा अथवा नई शिक्षा नीति के निर्देशानुसार होगा। अन्तराल को दृष्टिगत रखते हुये प्रवेश का निर्णय महाविद्यालय के प्राचार्यों द्वारा लिया जायेगा तथा किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए नहीं भेजा जायेगा।

5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकारी होंगे:-

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his /her college. He shall, however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other direction as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission commitee forthwith."

स्पष्टीकरण : उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

(1) यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।

(2) यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिये विचाराधीन हो।

6. **(अ) <u>स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी:</u>**

1. बी.एस.सी. (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
2. बी.एस.सी. (लाइफ सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट बायोलॉजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
3. बी.एस.सी. (कृषि) के लिए कला को छोड़कर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण हो।
4. बी.एस.सी (गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
5. बी.ए./ बी.कॉम के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण।
6. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेडरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश दिया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Level along with revised Scheme of Studies)

संलग्नक-1

(ब) कृषि / विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी.एस.सी.(कृषि)/बी.एस.सी. परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। उ.प्र. बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईट/ मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होंगे।

(स) <u>स्नातक/ स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे:-</u>

(i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

(ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 05 प्रतिशत विदेशी छात्र भी सम्मिलित है, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।

(iii) शासनादेश संख्या जी.आई. 35/ सत्तर-1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र-छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) भाग–ii तथा भाग–iii में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग–i के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।

(v) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट वीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृति हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हों। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :

I. अधिष्ठाता छात्र कल्याण।

II. प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य–चक्र क्रमानुसार।

III. एस.एन. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित–मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोटः कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश 'प्रोवीजनल' भी नहीं देगा।

vi. समय–समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर वर्ष में संध्याकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

vii. समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षणिक अंकों की गणना :

7. (क) स्नातक कक्षायें :

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत, अंकों / ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों / ग्रेड का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट :

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री–यूनिवर्सिटी, प्री–इंजीनियरिंग, प्री–मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हॉयर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए लिये जायेंगे।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) **स्नातक कक्षायें :**

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:–
   (क) प्रथम विजेता होने के लिये – 5 अंक
   (ख) द्वितीय विजेता होने के लिये – 4 अंक
   (ग) तृतीय विजेता होने के लिये – 3 अंक
   (घ) प्रतिभाग करने के लिये – 2 अंक
2. एन.सी.सी. "सी" सर्टिफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण कैडिटों को 8 अंक
   अथवा
   एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट/जी–1 उत्तीर्ण कैडिटों को 6 अंक
   अथवा
   एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक
3. स्वतन्त्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री आविवाहित अथवा पौत्र/ पौत्री) 5 अंक
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को 5 अंक
5. बी.कॉम. (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 5 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हो।

(ख) **स्नातकोत्तर कक्षायें :**

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:–
   (क) प्रथम विजेता होने के लिये – 8 अंक
   (ख) द्वितीय विजेता होने के लिये – 7 अंक
   (ग) तृतीय विजेता होने के लिये – 6 अंक
   (घ) प्रतिभाग करने के लिये – 3 अंक
2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:–
   (क) प्रथम विजेता होने के लिये – 5 अंक
   (ख) द्वितीय विजेता होने के लिये – 4 अंक
   (ग) तृतीय विजेता होने के लिये – 3 अंक
   (घ) प्रतिभाग करने के लिये – 2 अंक
3. एन.सी.सी. "सी" सर्टिफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण कैडिटों को 8 अंक
   अथवा
   एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट/जी–1 उत्तीर्ण कैडिटों को 6 अंक
   अथवा
   एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक

4. एन.एस.एस. में 240 घण्टे कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए — 5 अंक

5. महाविद्यलाय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। — 3 अंक

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो।

(क) प्रथम विजेता होने के लिए — 5 अंक
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए — 4 अंक
(ग) तृतीय विजेता होने के लिए — 3 अंक
(घ) प्रतिभाग करने के लिए — 2 अंक

नोट :

उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्तरक्षरित/एन.सी.सी. अधिकारी/एन.एस.एस. समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र/रोवर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ग) सभी कक्षायें:-

(1) डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान व विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्री /पुत्र तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियाँ के पति/पत्नी/पुत्री /पुत्र। — 17 अंक

2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री। — 10 अंक

3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स/अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी0एस0सी0) में कार्य करते हुये विजय के शहीद के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में। — 17 अंक

टिप्पणी :-

1. प्रत्येक अभयर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि वह यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।

2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोटः–

1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।

2. उपर्युक्त "1" से "3" के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्रत तथा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित /एन.सी.सी. अधिकारी/एन.एस.एस. अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

8. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण–पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(ब) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टॉफ की मांग नहीं करेंगे। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृति सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नाताकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र एवं गैर प्रयोगात्मक विषय मे 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने को अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

9. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे।

(स) प्रविष्ठ छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रदेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और वेबसाइट पर सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन "अपटू–डेट" जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़लें, उनका यह भी दायित्व होगा कि सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ, उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की जाये। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

10. आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

11. आगरा आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपने इंटर की परीक्षा यू.पी. बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो मूल निवास प्रमाण पत्र भरने की बाध्यता नहीं है। किसी अन्य बोर्ड/प्रांत द्वारा इंटर परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में निवास प्रदर्शित किया हो तो प्रवेश प्रक्रिया के समय मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

12. नई शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा।

प्रवेश-नियम

1. प्रवेश आवेदन-पत्र का पंजीकरण शुल्क ऑन लाइन 252/- रुपये जमा करना होगा जो कि किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।
2. विवरणिका में दिये गये विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली के अनुसार सभी कक्षाओं में प्रवेश योग्यता के आधार पर किये जायेंगे। सभी अंकतालिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करके अपलोड करें तथा सत्यापन हेतु निश्चित दी गई तिथि पर महाविद्यालय में उपस्थित हों।
3. गत संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र तथा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र भी प्रवेश के समय ही जमा कराया जाना अनिवार्य है।
4. अन्य विश्वविद्यालय से आने वाली छात्राओं को प्रवास प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। तभी उनका प्रवेश स्थायी माना जायेगा।
5. **चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु सूचना भेजी जायेगी। तथा वेबसाईट पर अपलोड होगी। अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट चैक करती रहे अन्यथा की स्थिति समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा।**
6. उपर्युक्त समस्त नियमों के अतिरिक्त डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की प्रवेश-नियमावली में उल्लिखित नियम सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु लागू होंगे।
7. प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश क्रमानुसार एक क्रम संख्या प्रदान की जायेगी जो उसकी शुल्क रसीद पर अंकित रहेगी। इसी के आधार पर उसे अपने वर्ग व समय सारिणी आदि की सूचना मिलेगी। अत: इसे याद रखना एवं सन्दर्भित करना आवश्यक है।
8. **प्रत्येक संकाय के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र भरना होगा। एक संकाय के लिए भरा गया आवेदन पत्र दूसरे संकाय में स्थानान्तरित नहीं होगा।**

नोट : 1. अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. प्रवेश सम्बन्धी समस्त विवरण कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया जायेगा।
3. **आवेदन-पत्र जमा हो जाने के बाद कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

प्रवेश के समय देय शुल्क
कला एवं विज्ञान संकायों के लिए 12 मास का शुल्क

क्र. सं.	मद	स्नातक कक्षायें रुपये	स्नातकोत्तर कक्षायें रुपये
1.	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00
2.	पंजीकरण शुल्क	2.00	2.00
3.	पुस्तकालय एवं रीडिंग रूम शुल्क	30.00	38.00
4.	मँहगाई शुल्क	42.00	42.00
5.	विकास शुल्क	30.00	30.00
6.	क्रीड़ा शुल्क	200.00	200.00
7.	परिचय-पत्र शुल्क	8.00	8.00
8.	पंखा शुल्क	12.00	12.00
9.	ग्रीष्म-शीत शुल्क	24.00	24.00
10.	छात्र सहायता शुल्क	12.00	12.00
11.	पत्रिका शुल्क	15.00	15.00
12.	छात्र कल्याण शुल्क	12.00	12.00
13.	चिकित्सा शुल्क	12.00	12.00
14.	वार्षिकोत्सव व दीक्षांत समारोह शुल्क	6.00	6.00
15.	कॉलेज भवन रख-रखाव शुल्क	30.00	30.00
16.	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	50.00	50.00
17.	बिजली शुल्क	150.00	150.00
	योग	**638.00**	**646.00**

कला एवं विज्ञान संकायों के लिये विशेष शुल्क

क्र. सं.	मद	स्नातक कक्षायें रुपये	स्नातकोत्तर कक्षायें रुपये
1.	पुस्तकालय प्रासंगिक शुल्क	20.00	20.00
2.	प्रासंगिक शुल्क (प्रयोगात्मक) प्रति विषय	25.00 कला 35.00 विज्ञान	50.00 50.00
3.	प्रयोगात्मक विषय-शुल्क		
	(अ) शारीरिक शिक्षा	240.00	-
	(ब) मनोविज्ञान	240.00	240.00
	(स) संगीत गायन	240.00	240.00
	(द) संगीत वादन	240.00	-
	(य) कला	240.00	240.00
	(र) गृह विज्ञान	240.00	-
	(ल) विज्ञान	720.00	-
4.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	300.00	300.00
5.	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क (अ) वे पाठ्यक्रम जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षा नही होती है। (ब) वे पाठ्यक्रम जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। नोट:-विश्वविद्यालय बी.ए.तृतीय, बी.एस.सी. तृतीय व एम.ए.फाईनल का अतिरिक्त शुल्क	 1500.00 1700.00 200.00	 2000.00 2200.00 200.00
6.	पुन: प्रवेश शुल्क	2.00	2.00
7.	स्थानान्तरण शुल्क	2.00	2.00
8.	साइकिल स्टैण्ड शुल्क	50.00	50.00

शिक्षा संकाय के लिये 12 मास का शुल्क

क्र.	मद	बी.एड. कक्षायें(रू.)	एम.एड. कक्षायें(रू.)
1.	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00
2.	पंजीकरण शुल्क	2.00	2.00
3.	पुस्तकालय शुल्क	30.00	38.00
4.	मँहगाई शुल्क	42.00	42.00
5.	विकास शुल्क	30.00	30.00
6.	क्रीड़ा शुल्क	200.00	200.00
7.	परिचय-पत्र शुल्क	8.00	8.00
8.	पंखा शुल्क	12.00	12.00
9.	ग्रीष्म-शीत शुल्क	24.00	24.00
10.	छात्र सहायता शुल्क	12.00	12.00
11.	पत्रिका शुल्क	15.00	15.00
12.	छात्र कल्याण शुल्क	18.00	18.00
13.	चिकित्सा शुल्क	12.00	12.00
14.	वार्षिकोत्सव व दीक्षांत समारोह शुल्क	6.00	6.00
15.	गर्ल्स गाइडिंग	30.00	–
16.	बिजली शुल्क	150.00	150.00
17.	कॉलेज भवन रख-रखाव शुल्क	30.00	30.00
18.	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	50.00	50.00
	योग	**674.00**	**652.00**

शिक्षा संकाय के लिये विशेष शुल्क

क्र. सं.	मद	बी.एड. कक्षायें रुपये	एम.एड. कक्षायें रुपये
1.	पुस्तकालय प्रासंगिक शुल्क	20.00	20.00
2.	*प्रयोगात्मक शुल्क	600.00	1000.00
3.	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क	4000.00	4000.00
4.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	300.00	300.00
5.	साइकिल स्टैण्ड शुल्क	50.00	50.00
	शोध शुल्क	1200.00 रुपये वार्षिक	
	***NCTE - 1995**		

प्रवेश के समय देय शुल्क का पूर्ण योग

कक्षा	प्रयोगात्मक विषय रहित	एक प्रयोगात्मक विषय सहित	दो प्रयोगात्मक विषय सहित
बी.ए. प्रथम वर्ष	2456.00	2921.00	3186.00
बी.ए. द्वितीय वर्ष	2408.00	2873.00	3138.00
बी.ए. तृतीय वर्ष	2608.00	3073.00	3338.00
बी.ए.सी. प्रथम वर्ष	3481.00		
बी.ए.सी. द्वितीय वर्ष	3433.00		
बी.ए.सी. तृतीय वर्ष	3633.00		
एम.ए. पूर्वार्द्ध हिन्दी/अंग्रेजी/ संस्कृत	2916.00		
एम.ए. पूर्वार्द्ध मनोविज्ञान/ड्राइंग/ संगीत गायन	3406.00		
एम.ए. उत्तरार्द्ध हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत	3316.00		
एम.ए. उत्तरार्द्ध मनोविज्ञान/ड्राइंग/ संगीत गायन	3606.00		
बी.एड.	5768.00		
एम.एड. एक वर्ष	8722.00		

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत

(अ) बी.कॉम. संकाय के लिये 12 मास का शुल्क

	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
वि. वि. अंशदान	500	—	—
नामांकन शुल्क	300	—	—
वि.वि. परीक्षा शुल्क	1070	1070	1070
शुल्क	8130	8000	8000
कुल योग	10000	9070	9070

(ब) एम. ए. अर्थशास्त्र

एम.ए. अर्थशास्त्र	वि.वि. अंशदान	वि.वि. परीक्षा शुल्क	शुल्क	कुलयोग
पूर्वार्द्ध	500	1570	9000	11070
उत्तरार्द्ध	–	1770	9000	10770

(स) गृह विज्ञान पूर्वार्द्ध/ उत्तरार्द्ध 15000/- प्रतिवर्ष

(द) बी.बी.ए. 15690/- प्रथम सेमिस्टर, अन्य सेमिस्टर 15000/- प्रति सेमिस्टर

एक्स-स्टूडैण्ट्स

स्नातक स्तर पर एक्स स्टूडैण्ट्स को प्रति प्रयोगात्मक विषय के लिये निर्धारित शुल्क ही देय होगा।

उपस्थिति

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक विषय में न्यूनतम उपस्थिति 75% निर्धारित है। छात्राओं को अपनी सभी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहना है। इससे कम उपस्थिति होने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता स्वत: समाप्त हो जायेगी।
2. दैनिक प्रार्थना-सभा, छात्रा हित में आयोजित विभिन्न पाठ्येत्तर कार्यक्रमों, आंतरिक परीक्षाओं एवं राष्ट्रीय पर्वों पर छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है।

अनुशासन

महाविद्यालय में उच्चस्तरीय अनुशासन व्यवस्था व पारस्परिक सद्भाव का वातावरण बनाये रखने के लिये अनुशासन समिति गठित है। अनुशासन सम्बन्धी कुछ आवश्यक नियम इस प्रकार हैं–

1. महाविद्यालय की सभी छात्राओं को प्रतिदिन यूनिफार्म में आना अनिवार्य है। यूनिफार्म के लिये सिलेटी रंग का कुर्ता (बॉम्बे डाईंग का शेड नं.96) सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा निर्धारित है। कुर्ते के लिये बॉम्बे डाईंग का शेड नं. 96 ही खरीदें, जिससे यूनिफार्म में एकरूपता बनी रहे। सर्दी में काले रंग का स्वैटर यूनिफॉर्म हेतु निर्धारित है।
2. छात्रायें महाविद्यालय प्रांगण तथा महाविद्यालय के बाहर व्यवहार सुशील व अनुशासित रखें।
3. प्राचार्य की अनुमति के बिना सूचना-पट्ट, महाविद्यालय के मुख्य द्वार व दीवारों पर कोई भी सूचना, विज्ञापन अथवा समाचार-पत्र के उद्धरण लगाना निषिद्ध है।
4. महाविद्यालय आने पर कोई भी छात्रा निर्धारित समय-सारिणी के मध्य बिना लिखित अनुमति के बाहर नहीं जायेगी।
5. जो छात्रायें कालेज में अनुशासनहीनता करती हुई पायी जायेंगी, उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी सत्र में उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करती पाई जाने वाली छात्राओं को भी आगामी सत्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
6. उत्तर प्रदेश शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार परिसर में **मोबाइल फोन बन्द रहेगा**। महाविद्यालय में मोबाइल चलाने वाली छात्रा को नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।

परिचय पत्र

प्रत्येक छात्रा को प्रति वर्ष एक सत्र के लिये परिचय-पत्र प्रदान किया जाता है। **परिचय-पत्र छात्रा को सदैव अपने पास रखना है। उन सभी स्थानों पर जहाँ-जहाँ छात्रा उपस्थित होने का अधिकार रखती है, विशेषत: व्याख्यानकक्ष, पुस्तकालय व परीक्षा-भवन में परिचय-पत्र निरीक्षण हेतु उनके पास उपलब्ध होना चाहिए।** परिचय-पत्र खो जाने पर ट्यूटर की संस्तुति पर 8 रुपये देने पर ही इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता है।

छात्र-सेवायें

1. **अभिस्थापन सेवा :** नवागत छात्राओं को महाविद्यालय के लक्ष्य एवं परम्पराओं का बोध कराने तथा यहाँ आयोजित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों से परिचय के उद्देश्य से सत्र के प्रारम्भ में महाविद्यालय के लिखित, अलिखित सभी प्रकार के नियमों से अवगत कराया जाता है।
2. **छात्र-कल्याण समिति :** प्रतिभासम्पन्न एवं आवश्यकताग्रस्त छात्राओं की प्रत्येक प्रकार से आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से गठित यह समिति छात्राओं के आवेदन-पत्रों पर पूर्ण विचार करके ही अपनी संस्तुति देती है। किन्तु महाविद्यालय में आयोजित आन्तरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने, अनुत्तीर्ण होने अथवा उपस्थिति अनियमित होने पर कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है।
3. **शिक्षकीय प्रवर्ग प्रणाली :** छात्राओं के व्यक्तिगत निर्देशनार्थ प्रति 100 छात्राओं का दायित्व प्राध्यापिका ट्यूटर पर रहता है जो अपनी रक्ष्य छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क मुक्ति हेतु संस्तुति देती है तथा महाविद्यालय सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु परामर्श देती है।
4. **राष्ट्रीय सेवा योजना :** महाविद्यालय में एन.एस.एस. की तीन इकाइयाँ हैं। इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय प्रांगण विकास, ग्रामोत्थान, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण व स्वास्थ्य-कल्याण आदि परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रत्येक सदस्यता के लिये सत्र में 120 घण्टे कार्य करना अनिवार्य है। सत्र में दो शिविरों का आयोजन किया जाता है।
5. **खेलकूद एवं शारीरिक प्रशिक्षण :** खेलकूद में अभिरुचि रखने वाली छात्राओं के लिये फुटबाल, हॉकी, बास्केटबॉल, बॉलीवाल, बैडमिंटन, खो-खो व टेबिल टेनिस आदि खेलों तथा विभिन्न एथलेटिक्स में प्रशिक्षण की सुविधा है।

6. **छात्र-स्वशासन समिति :** छात्राओं की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं छात्र-सहभागिता के अवसर प्रदान करने हेतु महाविद्यालय में छात्र स्वशासन समिति गठित है, जो चार शाखाओं में विभक्त है - शैक्षिक समिति, सांस्कृतिक समिति, अलंकरण समिति एवं स्वेच्छा सेवा समिति। प्रत्येक छात्रा को इन चार समितियों में से कम से कम दो की सदस्यता लेनी होती है।
7. **जनसंख्या शिक्षा क्लब :** जनसंख्या-विस्फोटजन्य समस्याओं के प्रति जागरुकता लाने के दृष्टि से महाविद्यालय में जनसंख्या शिक्षा क्लब संचालित है।
8. **पर्यावरण शिक्षा क्लब :** पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये पर्यावरण क्लब है।
9. **कैरियर कॉर्नर :** इससे छात्राओं को व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी व निर्देशन दिया जाता है।
10. **एन.सी.सी. :** महाविद्यालय में एन.सी.सी. की व्यवस्था है।
11. **रोबर्स रेन्जर्स योजना :** महाविद्यालय में दो यूनिट प्रत्येक यूनिट में 25-25 सदस्य होंगे।
12. **शैक्षिक योजना :** यह एक शैक्षिक सेवा योजना है।
13. **कैण्टीन :** जलपान की सुविधा हेतु महाविद्यालय में कैण्टीन की व्यवस्था है।
14. **साइकिल स्टैण्ड :** साइकिल द्वारा आने वाली छात्राओं के लिये निर्धारित शुल्क 50 रुपये प्रवेश के समय जमा करने पर ताला लगाकर अपनी साइकिल रखने की सुविधा है। बिना ताला लगी साइकिल का दायित्व कॉलेज का नहीं होगा।
15. **छात्रावास :** महाविद्यालय परिसर में ही निर्मित छात्रावास में 60 छात्राओं के आवास की व्यवस्था है। केवल वही छात्रायें छात्रावास में रह सकती हैं जो विधिवत् कॉलेज छात्रा हैं। छात्रावास में प्रवेश योग्यता के आधार पर होते हैं। **छात्रावास नियमावली पर लिखित सहमति देना व छात्रावास प्रवेश आवेदन-पत्र भरकर देना अनिवार्य है।**

पुस्तकालय

महाविद्यालय के सुसमृद्ध पुस्तकालय में स्वाध्याय हेतु उच्चकोटि की सामग्री का समुचित संकलन एवं वर्गीकरण है। पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तकालय में कई अनुभाग हैं तथा पृथक् से वाचनालय है। शोधकार्य हेतु शोध-कक्ष की व्यवस्था है।

सदस्यता परिचय-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रत्येक छात्रा को पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा नामांकन प्रपत्र दिया जाता है, जिसे भरकर छात्रा ट्यूटर के द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पुस्तकालय में जमा कर देती है, तब उसे पाठक पत्रक (Reading Card) दिये जाते है। उन्हीं के आधार पर पुस्तकें प्राप्त की जा सकती हैं।

पुस्तकालय के नियम

1. छात्राओं से अपेक्षित है कि पुस्तकालय से पुस्तकों की मांग कार्ड (कैटलॉग) का प्रयोग कर वांछित कॉल नम्बर आदि चिट पर लिखकर करें।
2. छात्रा को उसका पाठक-पत्रक लेकर एक सप्ताह के लिए पुस्तक दे दी जायेगी तथा पुस्तक लौटाने पर पत्रक पुनः छात्रा को दे दिया जायेगा।
3. पाठक-पत्रक खो जाने की सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष को तुरन्त देनी चाहिए। पत्रक पुनः बनवाने के निमित्त छात्रा को 4 रुपये प्रति पत्रक देना होगा।
4. पुस्तक लेने से पूर्व छात्रा को पुस्तक के पृष्ठों का पूर्ण रूप से निरीक्षण कर लेना चाहिये और उनमें कुछ कमी होने पर पुस्तकालयाध्यक्ष को उसी समय सूचित कर देना चाहिये अन्यथा बाद में पुस्तक-ग्रहीता को ही इस क्षति के लिये उत्तरदायी माना जायेगा।
5. निश्चित-समय के आगे पुस्तक रखने पर छात्रा से 12 रुपये प्रति पुस्तक प्रतिदिन दण्ड लिया जायेगा।
6. पुस्तक खो जाने पर छात्रा को पुस्तक का वर्तमान मूल्य देना होगा।

सन्दर्भ पुस्तकें : महाविद्यालय-पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर सूचना देने वाली सन्दर्भ पुस्तकें हैं, यथा शब्दकोष, विश्वकोष, वार्षिक पुस्तक, जीवनी, भू-चित्रावली तथा जर्नल्स आदि। इन्हें पुस्तकालय में बैठकर पढ़ना है, ये घर के लिये नहीं दी जातीं। पुस्तकालय की पुस्तक अथवा पत्रिका को नष्ट करना एक निन्दनीय अपराध है इसके लिये छात्रा को अर्थदण्ड दिया जा सकता है। गम्भीर स्थिति में छात्रा की पुस्तकालय सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है।

छात्रावास के नियम

1. छात्रावास में निवास हेतु छात्रा को महाविद्यालय से प्राप्त प्रार्थना-पत्र में निम्नलिखित सूचनायें भरकर देनी होंगी :
   (अ) पिछली संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र।
   (ब) स्थानीय अभिभावक का नाम, पता तथा छात्रा से सम्बन्ध एवं अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित अधिकार पत्र।
2. छात्रायें निर्धारित समय पर ही अपने स्थानीय अभिभावक से मिल सकती हैं :

शीतकाल में :

(अ) बुधवार को सायं 3-5 बजे तक।
(ब) रविवार को प्रातः 11-02 बजे तक।

ग्रीष्मकाल में :

(अ) बुधवार को सायं 4-6 बजे तक

(ब) रविवार को प्रात: 10-01 बजे तक

3. स्थानीय अभिभावक के अतिरिक्त यदि कोई आगन्तुक छात्रा से मिलना चाहता है तो उसे छात्रा के पिता / अभिभावक का अधिकार-पत्र लाना अनिवार्य होगा।
4. छात्रा अपने स्थानीय अभिभावक के पास अथवा अन्य किसी कार्य से वार्डन / प्राचार्या की अनुमति के बिना नहीं जा सकती है।
5. बिजली के उपकरण जैसे - बिजली की प्रेस, हीटर, टोस्टर आदि का प्रयोग करना वर्जित है।
6. अभिभावक की लिखित सूचना तथा आवेदन-पत्र पर प्राचार्या / वार्डन की स्वीकृति के बिना छात्रावास छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
7. अपने कमरे के समस्त सामान की छात्रा स्वयं जिम्मेदार होगी।
8. छात्रावास में कैमरा रखना वर्जित है।
9. छात्रावास का शुल्क विवरण :

क्र.सं.	शुल्क का विवरण	वार्षिक
1.	कमरे का किराया	9000.00
2.	बिजली	5000.00
3.	कटिन्जेन्सी	250.00
4.	खाना(खाने का शुल्क छ: मास का है)	17,000.00
	कुल योग	**31,250.00**

10. छात्रावास में रहकर नियमित समय से कक्षाओं में जाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर, तीन बार गलती करने पर छात्रा को छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है।
11. छात्रावास में रहने वाली छात्रायें छात्रावास कैम्पस के गेट से ही निश्चित समय पर बाहर जा सकती हैं।
12. शैक्षिक सत्र समाप्ति पर छात्रावास खाली करना अनिवार्य है। नये सत्र में छात्रावास में पुन: प्रवेश लेना होगा।
13. छात्रावास खाली करते समय छात्रायें अपने कमरे की अलमारियों की चाबियाँ वार्ड/प्राचार्या को जमा करें। ऐसा न करने पर छात्रायें अंक पत्र प्राप्त नहीं कर सकेंगी।
14. छात्रावास में रहकर कोचिंग कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं होगी।

प्राध्यापिका - सूची

प्राचार्या-डॉ. अलका अग्रवाल (एम.एस.सी. गृहविज्ञान, **पीएच.डी.**)

शिक्षा संकाय

1. डॉ. लता चंदोला, एम.ए., एम.एड., एम.फिल., पीएच.डी.
2. डॉ. सुनीता चौहान, एम.ए., एम.एड., पीएच.डी.
3. सुश्री. राजवाला, एम.ए., एम.एड.

कला संकाय

1. संस्कृत

1. डॉ. श्रीमती रेखा सिंह, एम., पीएच.डी.

2. हिन्दी

1. डॉ. अनुराधा गर्ग, एम.ए., पीएच.डी.
2. डॉ. गुंजन एम.ए., पीएच.डी.
3. डॉ. कंचन गुप्ता, एम.एड., पीएच.डी.
4. श्रीमती सीमा, एम.ए.

3. अंग्रेजी

1. डॉ. गुंजन चतुर्वेदी, एम.ए., पीएच.डी.
2. डॉ. पूनम रानी गुप्ता, एम.ए., पीएच.डी., डी.लिट्.
3. श्रीमती मीरा सिंह, एम.ए.
4. श्रीमती शालिनी, एम.ए.
5. सुश्री नेहा, एम.ए.
6. श्रीमती ज्योति कुशवाहा, एम.ए.

4. उर्दू

1. डॉ. नसरीन बेगम, एम.ए., बी.एड., एम.फिल., पीएच.डी. (अलीग)

5. मनोविज्ञान

1. डॉ. अमिता निगम, एम.ए., पीएच.डी.
2. श्रीमती राधा सिंह, एम.ए.
3. रिक्त

6. अर्थशास्त्र

1. डॉ. राधा रानी गुप्ता, एम.ए., पीएच.डी.
2. डॉ. पूनम शर्मा, एम.ए., पीएच.डी.
3. श्रीमती गरिमा, एम.ए.

7. समाज-शास्त्र

1. श्रीमती एकता, एम.ए.
2. श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा, एम.ए.
3. सुश्री अंशिका आर्थर, एम.ए.

8. राजनीतिशास्त्र

1. डॉ. रीना, एम.ए., पीएच.डी.
2. सुश्री सरिता देवी, एम.ए.

9. इतिहास

1. रिक्त

10. शिक्षाशास्त्र

1. डॉ. शशि प्रभा वार्ष्णेय, एम.ए., एम.एड., पीएच.डी.
2. डॉ. श्रीमती वंदना कौशिक, एम.एससी.बोटनी, पीएच.डी.

11. गृह विज्ञान

1. रिक्त
2. रिक्त

ललित कला संकाय

1. चित्र कला

1. डॉ. बिन्दु शर्मा, एम.ए., पीएच.डी.
2. डॉ. सविता प्रसाद, एम.ए., पीएच.डी.
3. श्रीमती विनीता गुप्ता, एम.ए.

2. संगीत गायन

1. डॉ. अमिता शर्मा, एम.ए., पीएच.डी.
2. डॉ. अल्का सिंह, एम.ए., पीएच.डी.
3. श्रीमती शैलजा मिश्रा, एम.ए.

3. संगीत वादन-सितार

1. श्रीमती कृष्णा बाला सिंह, एम.ए.

4. संगीत वादन-तबला

1. रिक्त

विज्ञान संकाय

1. जन्तु विज्ञान

1. रिक्त
2. रिक्त

2. वनस्पति विज्ञान

1. रिक्त
2. रिक्त

3. रसायन विज्ञान

1. रिक्त
2. रिक्त

4. शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता

1. डॉ. अनुपम सक्सैना, एम.पी.एड. पीएच.डी.
2. रिक्त

प्रयोगशाला सहायक

1. श्रीमती मीना सिंघल, एम.ए., बी.एड. (मनोविज्ञान विभाग)
2. डॉ. (श्रीमती) ममता अग्रवाल, एम.ए., बी.एड., पीएच.डी. (गृह विज्ञान विभाग)
3. श्रीमती प्रीति (चित्रकला विभाग)

पुस्तकालय – स्टाफ

1. कु. अरुणा सिन्हा, एम.ए., एम.लिब. साइंस (पुस्तकालयाध्यक्षा)
2. श्रीमती अर्चना गुप्ता एम.ए., बी.लिब. (कैटालॉगर)
3. श्रीमती राजकुमारी गौड़, बी.एससी., बी.लिब. (पुस्तकालय लिपिक)

कार्यालय – स्टाफ

1. श्री अरुण कुमार गुप्ता, एम.कॉम, बी.एड. (एकाउण्टेण्ट)
2. श्री सुरेश नारायन शुक्ला, बी.कॉम., एम.ए. (लिपिक)
3. श्री शिवकुमार गुप्ता, बी.कॉम. (लिपिक)

अवकाश सूची – 2021–22

क्र.सं.	अवकाश का नाम
1.	कैलाश का मेला (स्था. अवकाश)
2.	स्वतन्त्रता दिवस
3.	ईद-उल-जुहा (बकरा ईद)
4.	रक्षा बन्धन
5.	कृष्ण जन्माष्टमी
6.	मोहर्रम
7.	गाँधी जयन्ती
8.	महाराजा अग्रसेन जयन्ती
9.	महानवमी
10.	विजया दशमी
11.	महार्षि बाल्मीकि जयन्ती
12.	दीपावली
13.	विश्वकर्मा पूजा
14.	गोवर्धन पूजा
15.	भैया दूज
16.	छट पूजा पर्व
17.	ईद-ए-मीलाद
18.	गुरू नानक जयन्ती
19.	गुरू तेगबहादुर शहीदी दिवस
20.	चौ. चरन सिंह जन्मदिवस
21.	क्रिसमस-डे
22.	नववर्ष
23.	गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती
24.	मकर संक्रान्ति
25.	गणतन्त्र दिवस
26.	महाशिवरात्रि
27.	होलिका दहन
28.	रामनवमी
29.	आंबेडकर जयन्ती
30.	महावीर जयन्ती
31.	गुड फ्राई डे
32.	परशुराम जयन्ती
33.	बुद्ध पूर्णिमा
34.	जमाल-उल-विदा
35.	ईद-उल-फितर

नोट–अवकाश की तिथियाँ यथा समय घोषित की जायेगी।